उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गाजियाबाद क्षेत्र।

निविदा सूचना

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गाजियाबाद क्षेत्र के कौशाम्बी तथा साहिबाबाद डिपो द्वारा संचा वातानुकूलित बसों में प्रमाणित ब्राण्डेड बोतलबन्द पेयजल यात्रियों को उपलब्ध/वितरित करने हेतु आवश्यकता उपरोक्त बोतलबन्द पेयजल का एफ0एस0एस0 एस0आई0 द्वारा प्रमाणित लेब से परिक्षण करा सकता है।

अतः ब्राण्डेड बोतलबन्द पेयजल 500 तथा 200 एम0एल0 की सील बन्द बोतल प्राप्त करने हेतु या की सुविधा हेतु शीतल/नार्मल जल हेतु उत्पादक फर्मो से निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया जाता हे। टेण्डर प्रणाली द्वारा सक्षम अधिकारी के कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, 1 ए कौशाम्बी गाजियाबाद में दिनां 25.05.2017 को **14.00** बजे तक प्राप्त निविदाओं को उसी दिन निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।

1.	**टेण्डर क्रय करने का स्थान**	क्षे0प्र0 कार्यालय, कौशाम्बी गा0बाद दि0 16.05.2017 से 24.05.2017 तक, देय धनराशि रू0–500.00 मात्र।
2.	**टेण्डर भरकर जमा करने की तिथि व स्थान**	दि0 25.05.2017 को समय 14 बजे तक। कार्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक, उ0प्र0परिवहन निगम 1 ए कौशाम्बी गाजियाबाद।
3.	**टेण्डर खुलने की तिथि व समय**	दिनॉक 25.05.2017 अपरान्ह में 15.00 बजे
4	**ठेके की अवधि**	01, वर्ष।,
5.	**उपभोग**	लगभग–100000 बोतल प्रतिमाह, उक्त मात्रा घट–बढ़ सकती है।

डिपो	**सामग्री का नाम**	**अधिकतम मुल्यप्रति बोतल**
कौशाम्बी एवं साहिबाबाद	शीतल/सामान्य बोतलबन्द पेयजल 500 तथा 200 एम0एल	200एम0एल0 रू0–4.00 प्रति बोतल तथा 500 एम0एल0 रू0–6. प्रति बोतल अधिकतम दर

टेण्डरदाता को टेण्डर फार्म के साथ रू0–5000.00 धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, जो क्षेत्रीय प्रबन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, गाजियाबाद के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। क्षेत्रीय प्रबन्धक बोतल पानी में व्यय राशि का भुगतान नियमानुसार मुख्यालय से प्राप्त कर तदनुसार आपूर्तिकर्ता मासिक/पाक्षिक को भुग उपलब्ध करायेगें। टेण्डरदाता ऑन लाईन टेण्डर फार्म को डाऊनलोड कर सकता है जिसमें रू0–500.00 का डॉफ्ट अतिरिक्त संलग्न करना होगा।

<u>शर्ते निम्नलिखित है:–</u>

1–प्रतिष्ठित फर्मो, में से (आई.एस.ओ.) होल्डर को वरीयता प्रदान की जायेगी।

2–संबंधित फर्म को भारतीय मानक ब्यूरों के पेयजल संबंधित मानको के अनुरूप होने चाहिऐं।

3–जिस उत्पादककर्ता की गाजियाबाद में पानी का संयत्र स्थापित है उसी फर्म का वरीयता प्रदान की जायेगी।

4–चयनित फर्म को डिपो में उक्त बोतलो की आपूर्ति अपने व्यय पर स्वंय करनी होगी।

5–समस्त देय कर फर्म को वहन करने होगें।

6–लीकेज/वेस्टेज का दायित्व फर्म का होगा।

क्रमशः-

Downloaded from www.upsrtc.com

न्युनतम टेण्डर राशि को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार समिति में निहित होगा। उक्त ठेका हेतु गाजियाबाद में बोटलिंग प्लान्ट स्थापित निविदा दाता को वरीयता प्रदान की जायेगी।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
गाजियाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गाजियाबाद।

पत्रांकः—4160 /क्षे0प्र0/गा0बाद/सामान्य/ठेका—नीलामी/2017 दिनांकः— 15.05.2017

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रधान प्रबन्धक (विप्पण), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

2— नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ।

3— क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम, समस्त क्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4— सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,उ0प्र0परिवहन निगम कौशाम्बी, साहिबाबाद डिपो।

5— नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय/डिपो/बस स्टेशन।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
गाजियाबाद

Downloaded from www.upsrtc.com